

**हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010**

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम।        **1.** इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

धारा 98 का संशोधन।        **2.** हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 98 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“(3) वित्त आयोग का अध्यक्ष उन व्यक्तियों में से चयनित किया जाएगा जिनके पास सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो और जिनके पास,—

- (i) पंचायतों से सम्बन्धित आर्थिक और वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान और अनुभव हो; या
- (ii) नगरपालिकाओं से सम्बन्धित आर्थिक और वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान और अनुभव हो; या
- (iii) प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में व्यापक अनुभव हो; या
- (iv) आर्थिकी का विशेष ज्ञान हो।

(3—क.) वित्त आयोग के अन्य दो सदस्य, राज्य सरकार के उन अधिकारियों में से चयनित किए जाएंगे, जो सरकार के सचिव या विभागाध्यक्ष की पंक्ति से नीचे के न हों।

(3—ख.) वित्त आयोग के अध्यक्ष को ऐसा वेतन और ऐसे भत्ते संदत्त किए जाएंगे, जैसे विहित किए जाएं।”।

3. मूल अधिनियम की धारा 100 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 100  
का  
प्रतिस्थापन।

“100. ग्राम पंचायतों द्वारा करों, शुल्क, उपकर और फीस का उदग्रहण.— (1) ग्राम पंचायत संकल्प के माध्यम से और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, सभा क्षेत्र में आवासीय और वाणिज्यिक भवनों पर ऐसी दर पर और ऐसी रीति में, जैसी उचित समझे, सम्पत्ति कर उद्गृहीत कर सकेंगी:

परन्तु इस उपधारा के अधीन उद्गृहीत सम्पत्ति कर ऐसे भवन के स्वामी द्वारा संदेय होगा।

(2) ऐसी अधिकतम दरों, जिन्हें सरकार नियत करे, और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों या इस निमित्त सरकार द्वारा दिए गए किसी आदेश के अधीन ग्राम पंचायत निम्नलिखित उद्गृहीत करेंगी—

(क) सरकार के पूर्व अनुमोदन से, सभा क्षेत्र में कृषि से अन्यथा कोई व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और नियोजन करने वाले व्यक्तियों पर कर ; परन्तु ऐसा कर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, सभा क्षेत्र में उद्गृहीत न किया गया हो ;

(ख) यदि सरकार द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो तो सभा क्षेत्र में स्थित स्थावर सम्पत्ति के विक्रय, दान और कब्जा सहित बन्धक की लिखतों पर हिमाचल प्रदेश में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 द्वारा उद्गृहीत शुल्क पर, अधिभार के रूप में, सम्पत्ति के अन्तरणों पर सरकार द्वारा

नियत ऐसी दर पर शुल्क, जो, यथास्थिति, प्रतिफल राशि, 1899 का 2 सम्पत्ति के मूल्य या बन्धकदार द्वारा प्रतिभूत राशि पर, जो लिखित रूप में उपवर्णित है, दो प्रतिशत से अधिक न हो ; और

- (ग) यदि सरकार द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, तो कोई अन्य कर, शुल्क या उपकर, जिसे उद्गृहीत करने की हिमाचल प्रदेश विधान सभा को शक्ति प्राप्त हो :

परन्तु यदि ग्राम पंचायत कर, शुल्क या उपकर उद्गृहीत करने में असफल रहती है, तो सरकार इसे उद्गृहीत करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकेगी और इस प्रकार उद्गृहीत कर, शुल्क या उपकर ग्राम पंचायत द्वारा उद्गृहीत समझा जाएगा :

परन्तु यह और कि सरकार किसी भी समय खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन दिए गए प्राधिकार को वापस ले सकेगी, जिस पर कर, शुल्क या उपकर उद्गृहीत करना समाप्त हो जाएगा।

- (3) ग्राम पंचायत, संकल्प के माध्यम से और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, सभा क्षेत्र में निम्नलिखित फीस, ऐसी दर पर और ऐसी रीति में, जैसी वह उचित समझे, उद्गृहीत कर सकेगी, अर्थात् :-

- (i) मेलों में दुकानदारों से तहबाजारी;
- (ii) यथास्थिति, गलियों की सफाई, गलियों में प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, ठोस और द्रव्य अपशिष्ट प्रबन्धन, यानों की पार्किंग के लिए सेवा फीस;
- (iii) सभा क्षेत्र में बेचे गए पशुओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस; और
- (iv) पानी की दर, जहां पानी की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है।”।

4. मूल अधिनियम की धारा 118 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 118  
का  
प्रतिस्थापन।

**“118. पंचायतों की संपरीक्षा.—**(1) पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा करने के लिए पंचायती राज विभाग में एक संपरीक्षा अभिकरण (एजैन्सी) होगा।

- (2) संपरीक्षा अभिकरण (एजैन्सी) में निदेशक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले ऐसे अधिकारी तथा सेवक होंगे, जितने राज्य सरकार समय-समय पर उचित समझे।
- (3) पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा की, संपरीक्षा फीस के संदाय की तथा ऐसी संपरीक्षा रिपोर्टों पर की जाने वाली कार्यवाही की रीति, ऐसी होगी, जैसी विहित की जाए।
- (4) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पंचायत के लेखे, महालेखाकार हिमाचल प्रदेश और निदेशक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे जिनकी पंचायत की सुसंगत सूचना और अभिलेख तक पहुँच होगी:

परन्तु पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश के सम्पूर्ण तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अधीन संचालित की जाएगी।

- (5) महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट के साथ-साथ संपरीक्षा की वार्षिक रिपोर्ट, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाएगी।”।

5. मूल अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) में—

धारा 122  
का संशोधन।

(क) विद्यमान परन्तुक का लोप किया जाएगा; और

(ख) विद्यमान स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

**“स्पष्टीकरण,—**इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए पद “सेवा” या “नियोजन” के अन्तर्गत पूर्णकालिक, अंशकालिक, दैनिक या संविदा आधार पर नियुक्त किए गए या नियोजित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, परन्तु आकस्मिक या समयानुकूल (मौसमी) कार्यों के लिए रखा गया कोई भी व्यक्ति इसके अन्तर्गत नहीं होगा।”।

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 98 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए नियमों में विहित है। अधिनियम के अधीन राज्य वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र व्यक्तियों के लिए अर्हताओं को विहित करने के लिए तेहरवें वित्त आयोग द्वारा अधिकथित शर्तों को पूरा करने के उद्देश्य से, इस निमित्त उपयुक्त उपबन्ध करने का विनिश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त तेहरवें वित्त आयोग ने ये शर्तें भी अधिकथित की हैं कि समस्त स्थानीय निकाय सम्पत्ति कर (समस्त प्रकार की आवासीय और वाणिज्यिकीय सम्पत्तियों के लिए कर सहित) उद्गृहीत करने के लिए पूर्णतः समर्थ होने चाहिए और इस बाबत कोई भी बाधा हो तो उसे दूर कर दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार को इसके स्थान पर समस्त स्थानीय निकायों (शहरी स्थानीय निकायों के समस्त प्रवर्गों और पंचायती राज संस्थाओं के समस्त स्तर) के लिए संपरीक्षा पद्धति अपनानी चाहिए। नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक का राज्य में समस्त स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर/प्रवर्ग की संपरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण होना चाहिए और वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट के साथ-साथ निदेशक, स्थानीय लेखा निधि की वार्षिक रिपोर्ट विधान मण्डल के समक्ष रखी जानी चाहिए। इसलिए उक्त शर्तों को पूरा करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 100 और 118 में संशोधन करने का भी विनिश्चय किया गया है।

विद्यमान उपबन्धों के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, यदि वह उस पंचायत जिसका वह पदाधिकारी है या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसाइटी या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम के नियोजन में या की सेवा में है तो वह पंचायत के लिए चुने जाने या पंचायत का पदाधिकारी बनने के लिए निरर्हित होगा। यह उपबन्ध किसी पदाधिकारी को आकस्मिक या समयानुकूल (मौसमी) कर्मकार के रूप में कार्य करने और यहाँ तक कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 या तदधीन बनाए गए नियमों या स्कीम के अन्तर्गत कार्य करके जीविका उपार्जित करने से विवर्जित करता है। यह उपबन्ध न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि पंचायतों के पदाधिकारी मानदेय या बैठक फीस के रूप में बहुत ही कम रकम प्राप्त करते हैं। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) को उपयुक्त रूप से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है ताकि आकस्मिक या समयानुकूल (मौसमी) कार्य पर लगा हुआ कोई व्यक्ति पंचायत के लिए चुने जाने और पंचायत का पदाधिकारी बनने के लिए निरर्हित न हो।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

**जयराम ठाकुर,**  
प्रभारी मन्त्री।

धर्मशाला:

तारीख: ....., 2010

**वित्तीय ज्ञापन**

—शून्य—

-----

**प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन**

—शून्य—

-----

**THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (SECOND AMENDMENT)  
BILL, 2010**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

**A**

**BILL**

*further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (4 of 1994).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh  
in the Sixty-first Year of the Republic of the India as follows:—

Short title.

**1.** This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj  
(Second Amendment) Act, 2010.

Amend-  
ment of  
section 98.

**2.** In section 98 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act,  
1994 (hereinafter referred to as the “principal Act”), for sub-section (3), the  
following sub-sections shall be substituted, namely:—

"(3) The Chairman of the Finance Commission shall be selected  
from amongst the persons who have experience in public affairs  
and who have,—

- (i) special knowledge and experience in economic and  
financial matters relating to Panchayats; or
- (ii) special knowledge and experience in economic and  
financial matters relating to Municipalities; or
- (iii) wide experience in administration and financial matters; or
- (iv) special knowledge of economics.

(3-A) The other two members of the Finance Commission  
shall be selected from amongst the officers of the State

Government not below the rank of Secretary to the Government or the Head of the Department.

(3-B) The Chairman of the Finance Commission shall be paid such salary and allowances as may be prescribed.”.

3. For section 100 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Substitution  
of section  
100.

"100. Levy of taxes, duty, cess and fees by Gram Panchayats.—

(1) A Gram Panchayat may, through a resolution and after previous publication, levy property tax at such rates and in such manner as it may deem fit on residential and commercial buildings in the Sabha area:

Provided that property tax levied under this sub-section shall be payable by the owner of such building.

(2) Subject to such maximum rates as the Government may fix and the provisions of the rules made under this Act or any order made by the Government in this behalf, a Gram Panchayat may levy,—

- (a) with the previous approval of the Government, a tax on persons carrying on any profession, trade, calling and employment other than agriculture in the Sabha area; provided such tax has not been levied in the Sabha area by any other local authority under any law for the time being in force;
- (b) if so authorized by the Government, a duty on transfer of property in the form of a surcharge on the duty levied under the Indian Stamp Act, 1899, in its application to Himachal Pradesh, on instruments of sale, gift and mortgage with possession of immovable property situated in the Sabha area at such rate as may be fixed by the Government not exceeding two per cent on, as the case may be, the amount of the consideration, the value of the property or the amount secured by the mortgage, as set forth in the instrument; and



- (c) if so authorized by the Government, any other tax, duty or cess which the Legislative Assembly of Himachal Pradesh has power to levy:

Provided that if the Gram Panchayat fails to levy the tax, duty or cess, the Government may take necessary steps to levy it and the tax, duty or cess so levied shall be deemed to have been levied by the Gram Panchayat:

Provided further that the Government may at any time withdraw the authorisation under clause (b) or clause (c) whereupon the tax, duty or cess shall cease to be levied.

(3) A Gram Panchayat may, through a resolution and after previous publication, levy following fees at such rates and in such manner as it may deem fit in the Sabha area, namely:—

- (i) teh-bazari from the shop-keepers in fairs;
- (ii) service fee for cleaning of streets, lighting of streets, sanitation, solid and liquid waste management, parking of vehicles, as the case may be ;
- (iii) fee for registration of animals sold in the Sabha area; and
- (iv) water rate where water is supplied by the Gram Panchayat.”.

Substitution  
of section  
118.

**4.** For section 118 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"118. Audit of Panchayats.— (1) There shall be an audit agency, in the Panchayati Raj Department, to conduct audit of accounts of Panchayats.

(2) The audit agency shall consist of such officers and servants, to be appointed by the Director, as the State Government may deem fit from time to time.

(3) The manner of audit of Panchayat accounts, payment of audit fees and action on such audit reports shall be such as may be prescribed.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the accounts of Panchayat may be audited by the Accountant General, Himachal Pradesh and the Director of Local Fund Audit who shall have access to relevant information and records of the Panchayats:

Provided that the audit of the accounts of Panchayats shall be conducted under the over all technical guidance and supervision of the Accountant General, Himachal Pradesh.

(5) The annual technical inspection report of the Accountant General, Himachal Pradesh as well as the annual report of the audit shall be placed before the State Legislature.”.

**5.** In section 122 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (g)—

Amendment  
of section  
122.

- (a) the existing proviso shall be deleted ; and
- (b) for the existing Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:—

*"Explanation.—*For the purposes of this clause the expression “service” or “employment” shall include persons appointed, engaged or employed on whole time, part time, daily or contract basis but shall not include any person who is engaged on casual or seasonal works.”.

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

At present the qualification for the appointment of the Chairman and members of the Finance Commission is prescribed in rules made under sub-section (3) of section 98 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994. With a view to fulfil the condition laid down by the 13<sup>th</sup> Finance Commission for prescribing the qualifications for persons eligible for appointment as members of the State Finance Commission under the Act, it has been decided to make suitable provisions for the same. Further, the 13<sup>th</sup> Finance Commission have also laid down conditions that all local bodies should be fully enabled to levy property tax (including tax for all types of residential and commercial properties) and any hinderance in this regard should be removed and that the State Government must put in place an audit system for all local bodies (all categories of Urban Local Bodies and all tiers of Panchayati Raj Institutions). The Comptroller and Auditor General must be given technical guidance and supervision over the audit of all the local bodies in a State at every tiers/category and the Annual Technical Inspection Report as well as the Annual Report of the Director of Local Fund Audit must be placed before the State Legislature. Thus, with a view to meet the said conditions, it has further been decided to amend sections 100 and 118 of the Act *ibid*.

Under the existing provisions a person is disqualified for being chosen as and for being an office bearer of a Panchayat, if he is in the employment or service of a Panchayat of which he is office bearer or of any other local authority or Co-operative Society or the State Government or Central Government or any Public Sector Undertaking under the control of the Central or the State Government. This provision debars an office bearer to earn livelihood by working as a casual or seasonal worker and even to work under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 or rules or schemes framed there under. This provision appears to be not justified as the office bearer of Panchayats get meager amount of honorarium or sitting fee. As such, it has been decided to suitably amend clause (g) of sub-section (1) of section 122 of the Act *ibid* so that a person engaged on casual or seasonal work is not disqualified for being chosen as and for being an office bearer of a Panchayat.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**JAI RAM THAKUR,**  
Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA:

The , 2010.